राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / एटी / प026 / 2024 / 28 दिनांक : 28 / 02 / 2024

–: आदेश :–

डॉ. निकुंज उपाध्याय द्वारा चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं दिये जाने के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8895/2023 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 को निम्न निर्णय पारित किया गया।

Learned counsel for the petitioner submits that the petitioner belong to the 'EWS Category' and has applied for the post of Medical Officer in pursuance of the advertisement dated 13-10-2022. He further submits that the petitioner is having 57 marks which are equivalent to the marks obtained by the last candidate in the select list. He also submits that after the operation of select list, eight persons have not joined and, therefore, the vacancies are still available with the respondent Department.

Learned counsel placed on record an order dated 06-07-2023 to support his contention that in the 'EWS Category' eight persons have not joined and, therefore, the vacancies are available.

In these circumstances, learned counsel for the petitioner submits that the petitioner may be given liberty to file representation to the respondents for redressal of his grievance and the respondents may be directed to decide the same at the earliest.

Considering the limited prayer of the petitioner, the present writ petition is disposed of with liberty to the petitioner to file an appropriate representation to the respondent No. 2-The Director, Department of Medical and Health, Swasthya Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur for redressal of his grievance.

In the event of filing such representation by the petitioner, the respondent No.2- The Director, Department of Medical and Health, Swasthya Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur shall consider and decide the same at the earliest preferable within a period of four weeks from its receipt, strictly in accordance with law.

चिकित्सा अधिकारी के 1765 पदों की भर्ती में आर्थिक कमजोर वर्ग का वर्गीकरण में 176 पद निर्धारित थे। रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से प्राप्त मूल सूची में आर्थिक कमजोर वर्ग में पुरूष की कटऑफ स्कोर 57 एवं जन्मतिथि 30.10.1995 रखी गई थी। पुरूष में कटऑफ स्कोर 57 पर जितेश शिवनानी, जन्मतिथि 30.10.1995 को सम्मिलित किया गया। डॉ. निंकुज उपाध्याय के स्कोर 57 है परन्तु जन्मतिथि 01.03.1997 होने के कारण मूल सूची में सम्मिलित नहीं किया गया।

रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के पत्र क्रमांक 37328 दिनांक 21.01.2023 के द्वारा मूल सूची भिजवाई जाने के पश्चात् पत्र क्रमांक 23475 दिनांक 18.08.2023 के द्वारा 50 प्रतिशत वर्गवार प्रतीक्षा सूची निदेशालय में भिजवाई गई जो दिनांक 22.08.2023 को प्राप्त हुई जिसमें डॉ. निंकुज उपाध्याय का नाम सम्मिलित था।

RajKaj Ref
5744387

कृ.पृ.उ.

प्रतीक्षा सूची से चिकित्सा अधिकारी के पदस्थापन के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग को भिजवाये गये। प्रशासनिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 27.12.2021 के बिन्दु संख्या 02 में स्पष्ट निर्दिष्टानुसार भर्ती संस्था द्वारा मूल सूची प्रेषित करने की तिथि से 06 माह के भीतर आरक्षित सूची से नाम प्रेषित किये जा सकते है। यदि प्रशासनिक विभाग द्वारा 06 माह की अवधि में आरक्षित सूची से नाम प्रेषित करने हेतु अर्थना करने के बाद भी भर्ती संस्था द्वारा 06 माह की अवधि के पूर्ण होने तक आरक्षित सूची से नाम प्रेषित नहीं किये जाते है, तो 06 माह की अवधि समाप्त होते ही आरक्षित सूची समाप्त हो जायेगी तथा उसके पश्चात् भर्ती संस्था को आरक्षित सूची से नाम चयन हेतु अनुशंषित करने का अधिकार नहीं होगा। अतः आरक्षित सूची से नियुक्ति दिये जाने हेतु शिथिलन देय नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्य के मध्यनजर डॉ. निकुंज उपाध्याय को आरक्षित सूची से नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है। डॉ. निकुंज उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 06.10.2023 को गुणावगुण के आधार पर एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प026/2024/ 08 दिनांक : 28/02/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2 डॉ. निकुंज उपाध्याय, 7/219, शिवाजी नगर, हाऊसिंग बोर्ड, जिला डूंगरपुर। **(रजिस्टर्ड)**
3 प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभागीय वैबसाइट/संबंधित की ई–मेल आईडी पर भिजवाने की व्यवस्था करावें।
5 रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
5744387

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI PARKASH MATHUR
Designation : Director
Date :27-02-2024 11:22:04